

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(11)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक-26.12.2022 द्वारा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर में कार्यरत डॉ. विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समकक्ष प्रधानाचार्य की प्रतिनियुक्ति अवधि में "राजस्थान सेवा नियम 1951" के नियम-144 "क" के तहत पाचवें वर्ष के लिए दिनांक 18.07.2022 से 17.07.2023 तक अभिवृद्धि किये जाने की अनुमति की पालना में डॉ. विनोद कुमार शर्मा की प्रतिनियुक्ति अवधि में उक्तानुसार अभिवृद्धि की जाती है।

*he*

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 10.04.2023

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/बी-4/प्रतिनियुक्ति/विविध/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा राज्य मंत्री, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
7. प्रभारी बी-1/II/ए-2/ए-3।
8. रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

*BK*

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर